न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

रेनू मीणा आर.ए.एस.

पीठासीन अधिकारी का नाम—

मुकदमा नम्बर — 63/2018

1. दुर्गा देवी पत्नी करण सिंह जाति जाट निवासी ग्राम ठिठावता पिरान तहसील फतेहपुर
2. [illegible] देवी पत्नी महावीर सिंह जाति जाट निवासी बाटड़ानाउ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

....

वादीगण

<u>बनाम</u>

1. तहसीलदार, फतेहपुर
2. उगम कंवर पत्नी बक्स सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दांतरू तहसील फतेहपुर
3. जडाव कंवर पत्नी इन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दांतरू तहसील फतेहपुर
4. उगमा कंवर पत्नी बुद्ध सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कल्याणपुरा तहसील रामगढ़ जिला सीकर हाल निवासी गांव पोस्ट पीलोद तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू
5. प्रभु सिंह पुत्र बुद्ध सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कल्याणपुरा तहसील रामगढ़
6. बाबुलाल पुत्र बुद्ध सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दांतरू तहसील फतेहपुर
7. विमला देवी पुत्री बक्स सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दांतरू तहसील फतेहपुर हाल निवास गांव पोस्ट बिदासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
8. भंवर कंवर पत्नी आसुसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दांतरू तहसील फतेहपुर
9. महेन्द्र सिंह पुत्र बुद्धसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कल्याणपुरा तहसील रामगढ़ हाल निवासी गांव पोस्ट पीलोद तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज0
10. महावीर सिंह पुत्र बक्ससिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दांतरू तहसील फतेहपुर
11. मोहन पुत्र बक्स सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दांतरू तहसील फतेहपुर
12. रतन सिंह पुत्र बक्स सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दांतरू तहसील फतेहपुर
13. सुमला कंवर पुत्री बक्स सिंह पत्नी इन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दांतरू तहसील फतेहपुर हाल निवासी ग्राम नरसार तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
14. सुमेर सिंह पुत्र बक्स सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बाटड़ानाउ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
15. सोहन कंवर पत्नी सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बाटड़ानाउ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
16. हनुमान सिंह पुत्र आसु सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दांतरू तहसील फतेहपुर

——प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

<u>दावा बाबत बंटवारा</u>

[illegible]

[illegible] सिंह – वादी

[illegible] खान – प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः– 25.02.2019

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 102/1 रकबा 2.1975है0, खसरा नम्बर 102/3 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 107/2 रकबा 1.9294है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.1569है0 वाके ग्राम ढ़ाणी कल्याणपुरा में अवस्थित है।

उक्त भूमियां फतेहपुर से पाली जाने वाले नेशनल हाईवे सं. 65 पर अवस्थित है जिसमें से नेशनल हाईवे सं. 65 पर आने वाली उक्त भूमियों में वादी सं. 1 ने हिस्सा 6733/41569 भूमि भाग व वादी सं0 2 ने हिस्सा 3369/41569 भूमि भाग जरिये रजि. विक्रय पत्र उनके पूर्व मालिकों से क्रय कर मौके पर काबिज हो गये जिनके नाम से उक्त भूमियों का खाता भी बन गया है।

उक्त भूमियां खसरा नंबर 102/1 रकबा 2.1975है0, खसरा नम्बर 102/3 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 107/2 रकबा 1.9294है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.1569है0 वाके ग्राम ढ़ाणी कल्याणपुरा के वर्तमान में काबिज खातेदार काश्तकार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्यां 2 लगायत 16 है जिसमें से वादी एक का हिस्सा 6733/41569 भूमि भाग, प्रति0 सं. 2 का हिस्सा 3369/41569 भूमि भाग व प्रतिवादी संख्या 6 का हिस्सा 1832/41569 भूमि भाग प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 1832/41569 भूमि भाग, प्रतिवादी सं. 6 का हिस्सा 1050/41569 भूमि भाग, प्रतिवादी संख्या 9 का हिस्सा 525/41569 भूमि भाग, प्रतिवादी संख्या 10 का हिस्सा 1832/41569 भूमि भाग, प्रतिवादी सं. 11 का हिस्सा 1832/41569 भूमि भाग, प्रतिवादी संख्या 12 का हिस्सा 525/41569 भूमि भाग, प्रतिवादी संख्या 13 का हिस्सा 229/41569 भूमि भाग, प्रतिवादी संख्या 14 का हिस्सा 13734/41569 भूमि भाग, प्रतिवादी संख्या 15 का हिस्सा 3915/41569 भूमि भाग व प्रतिवादी संख्या 16 का हिस्सा 1050/41569 भूमि भाग है तथा इसी प्रकार उनका कब्जा काश्त मौके पर उक्त भूमियों पर चला आ रहा है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त कृषि भूमियों खसरा नंबर 102/1 रकबा 2.1975है0, खसरा नम्बर 102/3 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 107/2 रकबा 1.9294है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.1569है0 वाके ग्राम ढ़ाणी कल्याणपुरा में नेशनल हाईवे सं. 65 पर वादी सं. 1 6733/41569 हिस्सा भूमि भाग व वादी सं. 2 3369/41569 हिस्सा भूमि भाग पर काबिज है जिसके चारों और वादीगण ने तारबंदी कर रखी है व जिसकी नींव सींव अलग से बनी हुई है।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

प्रतिवादीगण सं. 2 लगायत 16 की नियत में फर्क आ गया है तथा वह उक्त कृषि भूमि में वादीगण के हिस्से में आये रोज दखलन्दाजी करने लगे है तथा वादीगण के हिस्से की तारबंदी व नींव सींव को तोड़ फोड़ करते रहते है। इस कारण वादीगण अब उक्त कृषि भूमियों की संयुक्त रूप से खातेदारी नहीं रखना चाहते है इसलिए वादीगण उक्त कृषि भूमियों में अपने 6733/41569 हिस्सा भूमि भाग व 3369/41569 हिस्सा भूमि का अलग करवाकर तत्पश्चात नींव सींव खातेदारी अलग से कायम करवाने का अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा कि वो कृषि भूमियों का मौके पर काबिज काश्त के अनुसार अपने – अपने हिस्से का विधिक बंटवारा करवा ले लेकिन पिछले दो रोज से वह स्पष्ट रूप से इंकार हो गये जिस पर यह वाद लाना आवश्यक हुआ।

वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर ग्राम ढ़ाणी कल्याणपुरा की भूमि खसरा नंबर 102/1 रकबा 2.1975है0, खसरा नम्बर 102/3 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 107/2 रकबा 1.9294है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.1569है0 है में से नेशनल हाईवे सं. 65 पर अवस्थित पर वादी सं. 1 के खातेदारी काबिज काश्त की 6733/41569 हिस्सा भूमि भाग व वादी सं. 2 के खातेदारी काबिज काश्त की 3369/41569 हिस्सा भूमि भाग का बंटवारा कर खाता व लगान व नींव सींव अलग से कायम किया जावे।

मिसल मुर्तिब की जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गयी। प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 6, 8, 10, 11 व 16 बावजूद तामील हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5, 7, 9, 12 ता 15 की ओर से श्री इमरान खान एड0 ने वकालतनामा पेश किया व जवाबदावा नहीं पेश करने बाबत निवेदन किया। । प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, फतेहपुर को पालना हेतु भिजवायी गयी। तहसीलदार, फतेहपुर से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण सहमत हुये। बहस वकुलाय फरीकेन सुनी गयी। पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। वाद वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

Web Copy - Not Official

वाद वादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम ढ़ाणी कल्याणपुरा की भूमि खसरा नंबर 102/1 रकबा 2.1975है0, खसरा नम्बर 102/3 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 107/2 रकबा 1.9294है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.1569है0 का निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

क्र.	[illegible] खातेदार	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
1	[illegible] देवी पत्नी महावीर सिंह हि. 1/3 जाति जाट सा. बाटड़ानाउ, [illegible] देवी पत्नी करण सिंह हि. 2/3 जाति जाट सा. ठिठावता पीरान खातेदार	102/3 102/1/2 107/2/1	0.03 0.1633 0.3934	बा.1 बा.1 बा.2	0.15 0.82 1.57
		किता 3	0.5867		2.54
2	सुमेर सिंह पुत्र श्रीबक्स सिंह रकबा 1.3734 सोहन कंवर पत्नी सुमेर सिंह रकबा 0.1626है. जाति राजपूत सा. बाटड़ानाउ	107/2/2	1.536	बा.2 0.5266 बा.3 1.0094	2.10 3.03
		किता 1	1.536		5.13
3	सोहन कंवर पत्नी सुमेर सिंह रकबा 0.6524है0 जाति राजपूत सा. बाटड़ानाउ भंवर कंवर पत्नी स्व. आशु सिंह रकबा 0.1050है. जाति राजपूत सा. दांतरू हनुमान सिंह पुत्र आशु सिंह रकबा 0.1050है. जाति राजपूत सा. दांतरू महेन्द्र सिंह, प्रभु सिंह, रतन सिंह पि0 बुद्धसिंह, उगमा कंवर पत्नी बुद्ध सिंह रकबा 0.21है. ब.हि.ब. जाति राजपूत सा. दांतरू उगम कंवर पत्नी श्रीबक्स सिंह, इन्द्र सिंह, महावीर सिंह, बाबूलाल, मोहन पि0 श्रीबक्स सिंह रकबा 0.916है. ब. हि.ब. सुभला, बिमला पुत्रियां श्री बक्स सिंह रकबा 0.0458है. हि.ब. जाति राजपूत सा. दांतरू	102/1/1	2.0342	बा.1 0.6742 बा.2 1.36	3.38 5.44
		किता 1	2.0342		8.82

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

(रेनू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

निर्णय आज दिनांक 25.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)